



21631



का कोई सम्बन्ध नहीं है, जिस भूमि का बैनामा हम प्रथम पक्ष कर रहे हैं, वह पूर्ण रूप से विवाद रहित है। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार विक्रेता के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई

सचिव पो-सचिव अधीक्षक अधीक्षक

3 JUN 2006

क. स. 42 दि. 1950 म. 1950
शामिक 21 म. 1950/1951 यथा

म. 1950/1951
म. 1950/1951
म. 1950/1951



5000RS.



21413

21413

आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि
अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं
अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई
ऋण या भार आदि पाया जायेगा या यह बैनामा किसी
न्यायालय से खण्डित अथवा मन्सूख करार पा जायेगा तो
ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा

मो. गे. नं. 24 कम्प्यूट.

५३४०६
 ५३४०६



21/1/5

उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व भविष्य
में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम
पक्ष विक्रेता तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व
अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न
होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और

उचित समय पर काम आवे। इति।

   

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

